## बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग

संख्या : वन भूमि— 08 / 2012 505 (ड्री. / प०व०, पटना— 15, दिनांक :01 10 2015

श्री संजीव कुमार, द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा-मालीपुर-हसनपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पहुँच पथ के निर्माण हेतु 0.015225 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक 5-BHB 158/2012-BHU/48 दिनांक 26.03.2015 द्वारा सशर्त्त स्वीकृति (स्टेज-1, सैद्धांतिक स्वीकृति) प्रदान की गयी है।

मुख्य वन संरक्षक—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक FC-276 दिनांक 20.05.2015 द्वारा स्टेज-1 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत विभागीय पत्रांक 313 (ई०) दिनांक 26.06.2015 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से अंतिम स्वीकृति का अनुरोध किया गया था।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक 5-8HB 158/2012-BHU/97 दिनांक 02.09.2015 बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा—मालीपुर— हसनपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पहुँच पथ के निर्माण हेतु 0. 015225 है० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई है :-

- 1- Legal status of forest land diverted shall remain unchanged.
- 2- Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.
- 3- The State Govt. shall plant 50 numbers of trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. Only indigenous tree species shall be used for such plantation.

- 4- The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.
- 5- The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road, Transport and Highways and communicated vide Ministry's Letter No. 11-268/2014-FC dated 11.07.2004:-
- (a) Fuel station should generally be a part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms, shops etc. Proper planning should be done by the user agency, in advance, for construction of such complexes along the highways so that destruction of road side forest is minimized.
- (b) Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations.
- (c) Entire periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the land requirement of the establishment.
- (D) Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, Separator Island and other vacant areas in addition to the compensatory afforestation, required to be raised as per the extant guidelines.
- 6- Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction nor shall be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.

- 7- It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the laborers, staff engaged in construction activity does not damage the nearby forest flora and fauna.
- 8- The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of Ministry of Environment, Forests & Climate Change.
- 9- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other user agency, department or person.
- 10-No additional or new path will be constructed inside the forest area for carrying out any activity related to the project work.
- 11-The user agency and the State Government shall ensure compliance of provisions of all the Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
- 12-Any other conditions that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.
- 13-In case of non-compliance of any of the above conditions, the State Govt. shall report to MOEF&CC as per procedure laid down in the clause 1.9 of guidelines issued under Forest (Conservation) Act, 1980.

अतः तद्आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन गंत्रातय, नई दिल्ली के पत्रांक F.N.7-23/2012-FC दिनांक 24.07.2013 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 5-BHB 158/2012-BHU/97 दिनांक 02.09.2015 द्वारा उक्त वन भूमि अपयोजन की उपर्युक्त सशर्त सहमति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा—मालीपुर—हसनपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट खोलने

के लिए पहुँच पथ के निर्माण हेतु 0.015225 हे० वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है

- 1. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति के पत्र को समेकित रूप से दो स्थानीय समाचार पत्र (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) में अक्षरशः प्रकाशित कराना होगा।
- 2. प्रयोक्ता एजेंसी, अंतिम स्वीकृति के पत्र को स्थानीय निकाय प्रधान के कार्यालय पट्ट पर 30 दिनों के लिए प्रदर्शनार्थ, निकाय प्रधान को सौंपना होगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमण्डल, बेगूसराय द्वारा उक्त 0.015225 हे० वन भूमि गढ़पुरा—मालीपुर—हसनपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पहुँच पथ के निर्माण हेतु अंतिम रूप से विमुक्त करते हुए इसे अभिलेख में दर्ज किया जायेगा तथा इसका सीमांकन कराया जायेगा। तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन सरकार को एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

ह०/— (अरविन्दर सिंह) वन सरंक्षक—सह—अपर सचिव

ज्ञापांक : : वन भूमि— 52/2012 505(\$)/प०व०, पटना— 15, दिनांक :01/10/2015

प्रतिलिपि : सहायक वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार, FC डिविजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली— 110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, राँची— 834002/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बेगूसराय को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राँची से प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र के साथ सूचनार्थ, कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ (30 दिनों तक) प्रेषित।

श्री संजीव कुमार, पिता— श्री अरूण कुमार सिंह, ग्राम— धरमपुर, प्रखंड—गढ़पुरा, जिला— बेगूसराय को सूचनार्थ तथा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित सहायक, गार्ड फाइल में संधारण / आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण एवं वन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अविलंब अपलोड कराने हेत प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

वन सरक्षक-सह-अपर सचिव